

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

कार्यवाही विवरण

भवन मानचित्र समिति (ले—आउट प्लान) की 338वीं बैठक दिनांक 05.07.2023 को प्रातः 11:30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जिसका कार्यवाही विवरण निम्नानुसार हैः—

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया:-

1. श्रीमति नलिनी कठोतिया, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्री विनय कुमार दलेला, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
3. श्री जुगल किशोर शीणा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन), जविप्रा, जयपुर।
4. श्री बाबूलाल गोयल, अतिरिक्त आयुक्त (पीआरएन), जविप्रा, जयपुर।
5. श्री राजेश वर्मा, सदस्य सचिव, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे:-

1. श्री प्रसून चतुर्वेदी, वरिष्ठ नगर नियोजक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
2. श्री बलवत् सिंह लिंग्री, उपायुक्त जोन-04, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री वीरेन्द्र सिंह भाटी, उपायुक्त जोन-07, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री उदय सिंह, उप नगर नियोजक, जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री गणराज बडगोती, तहसीलदार, जोन-13, जविप्रा, जयपुर।
6. श्री मन मोहन गौतम, सहायक नगर नियोजक, जोन-07, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री दिलीप आहुजा, नगर नियोजक सहायक, बीपीसी (एलपी), जविप्रा, जयपुर।
8. अरबन प्लानर/वास्तुविद—बीपीसी (एलपी), जोन— बीपीसी (एलपी), 04, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा संख्या:-1 (338 / 05.06.2023)

विषय:-बीपीसी (एलपी) की 337वीं बैठक दिनांक 26.06.2023 में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि बाबत

समिति का निर्णयः—

समिति द्वारा बीपीसी (एलपी) की 337वीं बैठक दिनांक 26.06.2023 में लिये गये निर्णयों के कार्यवाही विवरण की पुष्टि प्रक्रियाधीन है।

एजेण्डा संख्या:-06 (338 / 05.07.2023)—(जोन-13)

विषय:-राजस्व ग्राम—लबाना, तहसील—आमेर में स्थित निजी खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1163—1179, 1211, 1240 / 2314 से गुजर रही 18 मीटर सड़क के अलाईमेन्ट संशोधन बाबत।

प्रकरण के तथ्यः—

1. राजस्व ग्राम—लबाना, तहसील—आमेर के आराजी खसरा नम्बर राजस्व ग्राम—लबाना, तहसील—आमेर के खसरा नम्बर 1163 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, 1164 रकबा 0.6100 हेक्टेयर, 1165 रकबा 0.5700 हेक्टेयर, 1166 रकबा 0.5000 हेक्टेयर, 1167 रकबा 0.5800 हेक्टेयर, 1168 रकबा 0.7200 हेक्टेयर, 1169 रकबा 0.4600 हेक्टेयर, 1170 रकबा 0.0100 हेक्टेयर, 1171 रकबा 0.3000 हेक्टेयर, 1172 रकबा 0.0600 हेक्टेयर, 1173 रकबा 0.2300 हेक्टेयर, 1174 रकबा 0.6800 हेक्टेयर, 1175 रकबा 0.7100 हेक्टेयर, 1176 रकबा 0.1500 हेक्टेयर, 1177 रकबा 0.5500 हेक्टेयर, 1178 रकबा 0.5600 हेक्टेयर, 1179 रकबा 0.8000 हेक्टेयर, 1211 रकबा 1.3400 हेक्टेयर, 1240 / 2314 रकबा 0.2400 हेक्टेयर किता-19 कुल रकबा 9.7800 हेक्टेयर भूमि रिसोर्ट प्रयोजनार्थ धारा 90ए की कार्यवाही हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जिसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2. प्रश्नगत भूमि जोनल प्लान-13 की 18 मी. की सड़क से प्रभावित है। उक्त 18 मीटर सड़क आवेदित भूमि में से होती हुई लबाना ग्राम की मुख्य आबादी से होकर गुजर रही है। आवेदक द्वारा जोनल विकास योजना के प्रस्तावित 18 मीटर सड़क का एलाईमेन्ट परिवर्तन करने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शिफ्ट करने हेतु प्रस्तावित सड़क मास्टर विकास योजना-2011 एवं मास्टर विकास योजना-2025 में प्रस्तावित नहीं थी बल्कि उक्त सड़क को जोनल प्लान 13 में प्रस्तावित किया गया है।

[Signature]

3. प्रकरण का मास्टर प्लान शाखा से परीक्षण करवाया गया। मास्टर प्लान शाखा की रिपोर्ट पैरा 33/एन, 61/एन से 67/एन के क्रम में बी.पी.सी.(एल.पी.) की 309वीं बैठक दिनांक 24.11.2021 में लिये गये निर्णय के क्रम में बसावट के कारण जोनल विकास योजना में दर्शित सड़क के एलाईनमेंट में परिवर्तन हेतु टाईमलाइन के आधार गूगल इमेज, एलाईनमेंट परिवर्तन से यातायात दबाव में कोई परिवर्तन संभावित नहीं होने के संबंध में टिप्पणी व पटवारी/कनिष्ठ अभियंता से प्रमाणित सर्वे मानचित्र की प्रति मास्टर प्लान शाखा को भिजवायी गयी।
4. मास्टर प्लान शाखा द्वारा पत्रावली के पैरा 80-82/एन पर प्रकरण में जोन द्वारा आस-पास के प्रचलित रास्तों एवं विभिन्न खसरों की बाउण्ड्री का परीक्षण कर नवीन प्रस्तावित सड़क के एलाईनमेंट में आंशिक संशोधन किया जाकर एजेण्डा तैयार कर प्रकरण बी.पी.सी.(एल.पी.) में निर्णयार्थ भिजवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया।
5. उक्त के क्रम में जोनल विकास योजना की 18 मी. सड़क का संशोधित एलाईनमेंट दर्शाते हुये आवेदक द्वारा पी.टी. सर्वे प्रस्तुत किया गया है जो कि पत्रावली के पृष्ठ संख्या 118/सी पर संलग्न है जिसमें मार्ग ए से सी बिन्दु तक 18 मी. सड़क को विलोपित किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से मार्ग ए से बी तक भूमि रिक्त है जिसमें आवेदक स्वयं की भूमि शामिल है एवं मार्क बी से सी तक ग्राम लबाना की घनी आबादी स्थित है।
6. प्रकरण में आवेदक द्वारा पी.टी. सर्वे पर मार्क ए-बी-सी तक सड़क को मार्क डी-ई-सी पर शिफ्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में आवेदक द्वारा शपथ-पत्र पेश किया गया है कि प्रस्तावित 18 मी. सड़क उनकी भूमि को दो हिस्सों में बाट रही है जो कि आगे जाकर लबाना की आबादी को भी प्रभावित कर रही है। अतः उक्त सड़क को शिफ्ट करते हुए उनकी भूमि के एक छोर से प्रस्तावित करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गयी है।
7. प्रश्नगत 18 मी. का मौका निरीक्षण किया गया, पी.टी. सर्वे अनुसार मौके पर मार्क ए से बी तक भूमि रिक्त है एवं सड़क मौके पर उपलब्ध नहीं है एवं मार्क बी से सी तक मौके पर ग्राम लबाना की घनी आबादी स्थित है। जिसमें लगभग 31 भूखण्ड प्रभावित हो रहे हैं।
8. जोनल विकास योजना की 18 मी. सड़क संशोधित एलाईनमेंट को सर्वे मानचित्र में डी, ई, सी से दर्शाया गया है, जिसमें से मार्क डी से ई तक की भूमि का अधिकांश भाग आवेदक की निजी खातेदारी भूमि में आ रहा है। सर्वे मानचित्र में बिन्दु संख्या सी से खसरा नम्बर 772 तक कच्चा रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 766 रकबा 0.0666 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 755/3 रकबा 0.0030 हेक्टेयर, 755/2 रकबा 0.0260 हेक्टेयर, 755/1 रकबा 0.0170 हेक्टेयर, 755/4 रकबा 0.0040 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। भौके पर संचालित कच्चा रास्ता (Cart track) उक्त खसरों से लगते हुए गुजर रहा है। प्रस्तावित 18 मीटर सड़क के अलाईनमेंट में आगे वाली भूमि निजी खातेदारी भूमि है। प्रस्तावित सड़क के कॉर्नर पर नियमानुसार ट्राईंग रेडियस का प्रावधान रखा जाना प्रस्तावित है।

अतः मौका स्थिति व राजस्व रिकॉर्ड अनुसार स्थिति को देखते हुए ग्राम लबाना की आबादी को बचाते हुए प्रार्थी के निवेदन अनुसार पी.टी. सर्वे पर मार्क ए-बी-सी तक जोनल विकास योजना की 18 मीटर सड़क को विलोपित करते हुए मार्क डी-ई-सी अनुसार अलाईनमेंट परिवर्तन किये जाने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय:-

समिति द्वारा पत्रावली एवं जोन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। उपायुक्त द्वारा समिति को अवगत कराया गया कि जोनल विकास योजना की 18 मी. सड़क का संशोधित एलाईनमेंट दर्शाते हुये आवेदक द्वारा पी.टी. सर्वे प्रस्तुत किया गया है। जिसमें मार्ग ए से सी बिन्दु तक 18 मी. सड़क को शिफ्ट किया जाना प्रस्तावित किया गया है, जिसमें से मार्ग ए से बी तक भूमि रिक्त है जिसमें आवेदक स्वयं की भूमि शामिल है एवं मार्क बी से सी तक ग्राम लबाना की घनी आबादी स्थित है। आवेदक द्वारा पी.टी. सर्वे पर मार्क ए-बी-सी तक सड़क को मार्क डी-ई-सी पर शिफ्ट करने हेतु निवेदन किया गया है। इस संबंध में

आवेदक द्वारा शपथ—पत्र पेश किया गया है कि प्रस्तावित 18 मी. सड़क उनकी भूमि को दो हिस्सों में बाट रही है जो कि आगे जाकर लबाना की आबादी को भी प्रभावित कर रही है। अतः उक्त सड़क को शिफ्ट करते हुए उनकी भूमि के एक छोर से प्रस्तावित करने हेतु सहमति प्रस्तुत की गयी है।

समिति द्वारा नोट किया गया कि मौका स्थिति अनुसार ग्राम लबाना की आबादी में से होकर जोनल विकास योजना की 18 मीटर सड़क मार्क ए—बी—सी प्रस्तावित है। जिसमें मार्क बी से सी तक का भाग ग्राम लबाना की सघन आबादी पर प्रस्तावित होने के कारण मौके पर निर्भित किया जाना संभव नहीं है।

जोनल विकास योजना की 18 मी. सड़क संशोधित एलाइनमेंट को सर्वे मानचित्र में डी, ई, सी से दर्शाया गया है, जिसमें से मार्क डी से ई तक की भूमि का अधिकांश भाग आवेदक की निजी खातेदारी भूमि के पश्चिमी दिशा में आ रहा है एवं आवेदक द्वारा संशोधित अलाइनमेंट अनुसार भूमि समर्पण हेतु सहमति भी प्रदान की गई है। सर्वे मानचित्र में बिन्दु संख्या सी से खसरा नम्बर 772 तक कच्चा रास्ता चालू है तथा खसरा नम्बर 766 रकबा 0.0666 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो राजस्थान सरकार के नाम दर्ज है तथा खसरा नम्बर 755/3 रकबा 0.0030 हेक्टेयर, 755/2 रकबा 0.0260 हेक्टेयर, 755/1 रकबा 0.0170 हेक्टेयर, 755/4 रकबा 0.0040 हेक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता निजी खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर संचालित कच्चा रास्ता (Cart track) उक्त खसरों से लगते हुए गुजर रहा है। इस प्रकार प्रस्तावित अलाइनमेंट के बिन्दु ई से सी तक का अधिकांश भाग विद्यमान रास्ते के रूप में उपयोग में आ रहा है।

अतः समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत मौका स्थिति अनुसार ग्राम लबाना की आबादी एवं आवेदक द्वारा संशोधित अलाइनमेंट के क्रम में प्रदान की गई सहमति व उपलब्ध राजस्व/मौके पर विद्यमान रास्ते को दृष्टिगत रखते हुये मार्क ए—बी—सी तक जोनल विकास योजना की 18 मीटर सड़क के अलाइनमेंट को संशोधित करते हुये मार्क डी—ई—सी अनुसार अलाइनमेंट परिवर्तन किये जाने का निर्णय लिया गया। उक्त संशोधन हेतु पृथक से नियमानुसार जविप्रा अधिनियम की धारा 25 के तहत कार्यवाही की जावे।

18/7/23
सदस्य सचिव

भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स/वीपीसी (एल.पी.)/2023/डी— 137

दिनांक:— 18/7/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ:—

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को माननीय अध्यक्ष महोदय को अवलोकन करवाने हेतु प्रेषित है।
2. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक (नगर आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
5. निदेशक विधि, जविप्रा, जयपुर।
6. अति. आयुक्त पृथ्वीराज नगर/प्रशासन, जविप्रा जयपुर।
7. अति. आयुक्त, एलपीसी/भूमि/पुनर्वास, जविप्रा, जयपुर।
8. अति. आयुक्त भूमि आवाप्ति, जविप्रा, जयपुर।
9. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (मास्टर प्लान), जविप्रा, जयपुर।

10. उपायुक्त जोन 1 से 14 एव पृथ्वीराज नगर उत्तर I/II / दक्षिण I/II, जविप्रा, जयपुर।
11. उपनिदेशक, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।
12. उप रजिस्ट्रार सहकारिता, जविप्रा, जयपुर।

III/IV/
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले आउट प्लान)
जविप्रा, जयपुर।